

## राजस्थान राजपत्र विशेषांक

## RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

## साधिकार प्रकाशित

**Published by Authority** 

भाद्र 15, बुधवार, शाके 1945-सितम्बर 06, 2023 Bhadra 15, Wednesday, Saka 1945- September 06, 2023

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञिन्तयों।

## पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 31, 2023

संख्या प.27(31)/पर्या./78 पार्ट-II :-जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 4 की उप धारा 2 (ब) के अंतर्गत राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में निम्न को तत्काल प्रभाव से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का सदस्य मनोनीत किया जाता है:-

- 1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से नीचे के न हो।
- 2. शासन सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से नीचे के न हो।
- 3. आयुक्त, उद्योग विभाग या उनके प्रतिनिधि जो अतिरिक्त आयुक्त स्तर से नीचे के न हो।
- 4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग।
- 5. मुख्य अभियंता, (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष तक के लिए होगा।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 4 की उप धारा 2 (ई) के अंतर्गत बोर्ड/निगम से संबंधित निम्न को तत्काल प्रभाव से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयप्र का सदस्य मनोनीत किया जाता है:-

- प्रबंध निदेशक, रीको।
- 2. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम।

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष तक के लिए होगा।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 4 की उप धारा 2 (द) के अंतर्गत कृषि, फिशरी, इण्डस्ट्री एवं ट्रेड तथा अन्य विषय से संबंधित विशेषज्ञों को तत्काल प्रभाव से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का सदस्य मनोनीत किया जाता है:-

- 1. श्री संकटा प्रसाद, सेवानिवृत आई.एफ.एस. जयपुर।
- 2. श्री राधेश्याम सोमानी, पीपाइ (श्री पप्पू सेमानी)।

श्री केवलचन्द गुलेच्छा, पाली।
मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष तक के लिए होगा।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 4 की उप धारा 2 (स) के अंतर्गत स्थानीय निकाय से संबंधित निम्न को तत्काल प्रभाव से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का सदस्य मनोनीत किया जाता है:-

- 1. श्रीमती मंजू मेहरा, मेयर, कोटा (उत्तर)।
- 2. श्री नरेन्द्र खोडनिया, सभापति, सागवाड़ा।
- 3. श्री राम सिंह सांजू, पार्षद, जोधपुर।
- 4. श्री दिव्या सिंह पुत्री श्री संजय गुर्जर, पार्षद, जयपुर।
- 5. श्री शंकर चन्देल, पार्षद, उदयपुर।

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष तक के लिए होगा।

राज्यपाल की आजा से,

मोनाली सेन, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।